www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 21.06.2017

विचारण अदालत ने श्री संजय कुमार सिंह, डी.एफ.ओ. की हत्या के सम्बन्ध में पाँच आरोपियों को दोषी ठहराया

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सासाराम (बिहार) ने संजय कुमार सिंह, डी.एफ.ओ. की हत्या के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27, पोटा अधिनियम की धारा 3(2)(1) एवं 22(5) के तहत पाँच आरोपियों यथा निराला यादव, राम बचन, लल्लन सिंह व नीतीश कुमार ओरॉन तथा पोटा अधिनियम की धारा 20 के तहत सुदामा ओरॉन को दोषी ठहराया।

सीबीआई ने बिहार सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिनांक 22.03.2002 को मामला दर्ज किया एवं नौहाता पुलिस स्टेशन, जिला रोहतास(बिहार) में दिनांक 15.02.2002 को पूर्व में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या-4/2002 को अपने हाथों में लिया। ऐसा आरोप था कि दिनांक 14.02.2002 को गाँव रेहल के कुछ व्यक्ति श्री लालमुनि उर्फ बिलथ यादव की सुश्री शैल देवी से शादी के लिए गाँव दालेली, जिला गढ़वा (झारखण्ड) गए एवं दिनांक 15.02.2002 को आना था। एरिया कमाण्डर श्री निराला यादव के नेतृत्व में हथियारों से लैश एम.सी.सी. नक्सलियों का एक समूह सुश्री शैल देवी, जिसकी शादी, पूर्व में एक नक्सली श्री राम बचन यादव के साथ लगभग तय थी, की शादी में व्यवधान डालने के लिए गाँव रेहल में एकत्र हुए। इसके पश्चात, सुश्री शैल देवी की शादी श्री लालमुनी से तय की गई क्योकि सुश्री शैल देवी के परिवारिक सदस्यों को श्री राम बचन यादव के एम.सी.सी. कार्यकर्ता होने की बात पता चली थी। दिनांक 15.02.2002 को, जब श्री संजय कुमार सिंह, डी.एफ.ओ., शाहबाद मण्डल, सासाराम (बिहार) एवं उनके कर्मी गाँव रेहल में वन रेंज कार्यालय पहुँचे, उन्हे पूर्व कथित नक्सलियों के द्वारा घेर लिया गया। नक्सलियों के द्वारा डी.एफ.ओ. से पाँच लाख रू. की माँग

की गयी लेकिन उन्होने देने से मना कर दिया। श्री संजय कुमार सिंह, डी.एफ.ओ. को नक्सलियों ने बल पूर्वक गॉंव से दूर जंगल के भीतर ले गए जहॉं पर एरिया कमाण्डर श्री निराला यादव के निर्देश पर नक्सली श्री विरेन्द्र के द्वारा उन्हे मार दिया गया।

गहन जॉंच के पश्चात, सीबीआई ने वर्ष 2006-2009 के दौरान आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27, पोटा अधिनियम की धारा 3(2)(1) एवं 22(5) के तहत आरोप पत्र/ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने पॉंच आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया। अदालत 05 जुलाई, 2017 को इस मामले में सजा सुनाएगी ।

****